

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 83]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 3, 2016/माघ 14, 1937

No. 83]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 3, 2016/MAGHA 14, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2016

सं. 3/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.)

सा.का. नि. 143(अ).—केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 19 के उप नियम (i) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड, भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 474(अ) दिनांक 26 जून 2001, के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, की अधिसूचना सं. 45/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 26 जून, 2001 में एतद्वारा और संशोधन करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (5) में,

(i) उपांत शीर्षक को निम्नलिखित उपांत शीर्षक द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“भूटान में कुरीचु जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना, पुनातसांगेछू-I जल विद्युत परियोजना, पुनातसांगेछू-II जल विद्युत परियोजना, मांगदेछू जल विद्युत परियोजना और खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना को शुल्क के संदाय के बिना सभी उत्पाद शुल्क्य माल का निर्यात”;

(ii) शब्दों “कुरीचू जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना, पुनातसांगेछू-I जल विद्युत परियोजना, पुनातसांगेछू-II जल विद्युत परियोजना और मांगदेछू जल विद्युत परियोजना” के स्थान पर “कुरीचू जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना, पुनातसांगेछू-I जल विद्युत परियोजना,

पुनातसांगेछ-II जल विद्युत परियोजना, मांगदेछ जल विद्युत परियोजना और खोलोंगछ जल विद्युत परियोजना” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 116/31/2015-सीएक्स-3]

शंकर प्रसाद शर्मा, अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना संख्या 45/2001-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 26 जून, 2001 को सा.का.नि. 474 (अ) दिनांक 26 जून, 2001 के तहत प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2012-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (एन.टी.) दिनांक 17 मार्च, 2012 सा.का.नि.178 (अ) दिनांक 17 मार्च, 2012 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2016

No. 3/2016-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rules (1) and (3) of rule 19 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No.45/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001 published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 474(E), dated the 26th June, 2001, namely:-

In the said notification, paragraph 1, in sub-paragraph (5),-

- (i) For the marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:-
“Export of all excisable goods without payment of duty to Kurichu Hydro Electric Project, Tala Hydro Electric Project, Punatsangchhu- I Hydro Electric Project, Punatsangchhu-II Hydro Electric Project, Mangdechhu Hydro Electric Project and Kholongchhu Hydro Electric Project in Bhutan”;
- (ii) for the words "Kurichu Hydro Electric Project, Tala Hydro Electric Project, Punatsangchhu-I Hydro Electric Project, Punatsangchhu-II Hydro Electric Project and Mangdechhu Hydro Electric Project " the words "Kurichu Hydro Electric Project, Tala Hydro Electric Project, Punatsangchhu-I Hydro Electric Project, Punatsangchhu-II Hydro-Electric Project, Mangdechhu Hydro-Electric Project and Kholongchhu Hydro Electric Project" shall be substituted.

[F. No.116/31/2015-CX.3]

SHANKAR PRASAD SARMA, Under Secy.

Note:- The principal notification No. 45/2001-Central Excise (N.T.), dated the 26th June, 2001 was published *vide* G.S.R. 474(E), dated the 26th June, 2001 and was last amended *vide* notification No. 14/2012-Central Excise (N.T.) dated 17th March, 2012 G.S.R. 178(E), dated the 17th March, 2012.